भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. PT/4/2018/STGCG/DEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्कट नई दिल्ली.110003
दिनांक **19.02.2018**

सेवा में,

कलेक्टर,
जिला– बस्तर
जगदलपुर,
(छत्तीसगढ़)

विषयः पुसपाल चौक से कांवापाल तक 5 कि. मी. सड़क निर्माण के संबंध में– श्री प्रकाश ठाकुर, सर्व आदिवासी समाज, जिला बस्तर (छत्तीसगढ) का दिनांक 08/10/2017 का अभ्यावेदन।

सर,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट का प्रतिवेदन की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई. हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि प्रकरण मे अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करे !

भवदीय

(आर. के. दुबे)
सहायक निर्देशक
दूरभाष–24615012

प्रतिलिपिः

1. वनमंडलाधिकारी, जिला– बस्तर, जगदलपुर, (छत्तीसगढ़)
2. श्री प्रकाश ठाकुर, सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी विश्राम गृह चित्रकोट रोड़, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ)
3. SSA, NIC (NCST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PT/4/2018/STGCG/DEOTH/RU-III)

श्री प्रकाश ठाकुर, जिला अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी विश्राम गृह, चित्रकोट रोड, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छतीसगढ़ के द्वारा पुसपाल चौक से कानवापाल तक 5 किमी सड़क निर्माण के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	05.02.2018
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री प्रकाश ठाकुर, जिला अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी विश्राम गृह, चित्रकोट रोड, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छतीसगढ़ ने पुसपाल चौक से कांवापाल तक 5 किमी सड़क निर्माण के संबंध मे दिनांक 08.10.2017 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया था।

2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, ग्राम पंचायत कांवापाल के ग्राम वासियों द्वारा पुसपाल चौक से कांवापाल तक वन मार्ग पर सड़क निर्माण के लिए विगत कई वर्षों से शासन- प्रशासन के समक्ष अभ्यावेदन दिया जाता रहा है। किन्तु आज तक सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से इस ग्राम पंचायत के आदिवासी नागरिक वंचित हैं। अपने अभ्यावेदन के माध्यम से अभ्यावेदक ने आयोग से इस मामले मे न्याय दिलाने का निवेदन किया।

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात वनमंडलाधिकारी, जिला- बस्तर छत्तीसगढ़ को दिनांक 12.01.2018 को एक नोटिस जारी कर दिनांक 05.02.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. दिनांक 05.02.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए श्री राजू अगासीमानी, वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ उपस्थित हुये।

5. आयोग ने जानना चाहा कि मामले मे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है। वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ ने आयोग को अवगत कराया कि कावापाल के 56 ग्रामीणों द्वारा आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 1874 एवं 1875 मे 753 वृक्षों की दिनांक 12.09.2017 को अवैध कटाई की गई थी जिसके कारण सोनू, पिता फगनू, निवासी कावापाल एवं अन्य 10 साथियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13931/01 दिनांक 13.09.2017 सहित अन्य पर भी संबन्धित अपराध की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्यवाई की गई है। इन मामलों मे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बस्तर के न्यायालय मे मामला विचाराधीन है।

6. आयोग ने सड़क निर्माण के विषय में जानकारी मांगी जिस पर वन मंडलाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि कावापाल ग्राम के ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण की मांग कर उसके निर्माण हेतु 753 वृक्षों की कटाई की है। इससे पुसपाल तक की दूरी 5 किमी है (कम है) जबकि वर्तमान मे जिस मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है उसकी दूरी अधिक है। वर्तमान मे उपलब्ध सड़क का निर्माण (पुनर्निर्माण) कार्य प्रगति पर है जो पुसपाल से तिरिया ग्राम को जोड़ता है। ग्रामीणों की मांग के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण संबन्धित विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात संभव है। प्रस्तावित सड़क आरक्षित वन के कक्ष 1874/1875 से गुजरता है अतः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

7. आयोग ने सलाह दी कि निर्माणाधीन सड़क एक माह मे पूर्ण किया जाय और वैकल्पिक सड़क का पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध मे प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर, द्वारा एक माह मे आयोग को भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PT/4/2018/STGCG/DEOTH/RU-III)

श्री प्रकाश ठाकुर, जिला अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी विश्राम गृह, चित्रकोट रोड, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छतीसगढ़ के द्वारा पुसपाल चौक से कानवापाल तक 5 किमी सड़क निर्माण के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री जे. एस. रथो, संयुक्त सचिव
3. श्री आर. के. दूबे, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी

1. श्री राजू अगासीमानी, वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर, जिला- बस्तर